

प्ररूप-ख

[दिखिए नियम 9(3),(4) और (6)]

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला चूरु

क्रमांक-राजस्व/2017/578-582

दिनांक-30.05.2017

संपरिवर्तन आदेश

आवेदक महाराज पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान सांखणताल जरिए अध्यक्ष राजेश कुमार पुत्र बजरंगलाल जाति जाट निवासी सांखणताल तहसील राजगढ़ जिला चूरु के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिलेख में धारित कृषि भूमि का राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं-

1. आवेदक खातेदार अधिकारी का नाम, पिता/पति का नाम सहित तथा पूरा पता-
महाराज पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान सांखणताल जरिए अध्यक्ष राजेश कुमार पुत्र बजरंगलाल जाति जाट निवासी सांखणताल तहसील राजगढ़ जिला चूरु
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है- नहीं।
3. संपरिवर्तन भूमि का ध्येय-
(क) ग्राम- सांखणताल -डा. बंजारा सांखणताल तहसील का नाम-राजगढ़
(ख) भूमि की खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का कुल क्षेत्रफल -
ग्राम रोही सांखणताल के खसरा नम्बर 409 रकबा 4.43 हैक्टर
(ग) 'प्रत्येक खसरा' संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टर में या वर्गमीटर में)-
ग्राम रोही सांखणताल के खसरा नम्बर 409 रकबा 4.43 हैक्टर में से 4050 वर्गमीटर टिप्पणी- अर्पित प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से प्रमाणित प्रति संलग्न है।
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन- शैक्षणिक संस्थान
5. संदेय संपरिवर्तन प्रभारों की दर-5 रुपये प्रति वर्गमीटर
6. बालान की संख्या और तारीख जमा करायी गयी प्रीमियम की रकम-
बालान संख्या 0016987275 दिनांक 29.05.2017 राशि 20250 रुपये।
7. बालान की संख्या और तारीख सहित शान्ति, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम-

नहीं



राजगढ़
जिला चूरु
सांखणताल (चूरु)

8. चालान की संख्या और तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी
रकम—

—नहीं—

9. क्या आदेश विनियमितकरण के लिए नियम 13 के अधीन किया गया है—नहीं

10. अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो— भूमि खाली है।

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा—

(क) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(ख) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करवायी गई प्रीमीयम धनराशि समपस्त हो जायेगी।

(ग) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग कृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(घ) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(ङ) संपरिवर्तित भूमि में निर्माण सड़क के मध्य से 50 मीटर छोड़कर किया जायेगा।

विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
दिनांक-20/05.2017

क्रमांक-राजस्व/2017

प्रतिलिपी-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. श्रीभाग जिला कलक्टर महोदय, धूल
2. तहसीलदार राजगढ़
3. उप पंजीयक राजगढ़
4. ग्राम पंचायत सांखणताल

15. आवेदक महाराज पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान सांखणताल जरिए अध्यक्ष राजेश कुमार पुत्र बजरंगलाल जाति जाट निवासी सांखणताल तहसील राजगढ़ जिला धूल

विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर

सहायक उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़